बिहार सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रारूप अधिसूचना

अधिसूचना संख्या- दिनांक-

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव-विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खाने वाले जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँकि बिहार सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव के कारण प्लास्टिक कैरी बैग को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक महसूस किया है;

इसलिए अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा-23 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अधिसूचना सं.-एस.ओ.-152(ई.), दिनांक-10.02.1988 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी ग्राम पंचायत की परिसीमा के अन्दर प्लास्टिक कैरी बैग (किसी भी आकार एवं मुटाई के) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निर्देश जारी करती है:-

1. कोई व्यक्ति, राज्य के ग्राम पंचायत की परिसीमा के अन्दर प्लास्टिक कैरी बैग (किसी भी आकार एवं मुटाई के) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा।
2. कोई व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले अथवा सब्जी विक्रेता आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों

के भंडारण अथवा प्रदाय राज्य के ग्राम पंचायत की परिसीमा के अन्दर के लिए उपयोग नहीं करेगा।

अपवादः-

जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण/भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (50 माइक्रोन्स से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग की छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधार पर इस अधिसूचना के तहत कोई अपवाद करने का अधिकार सुरक्षित है। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दूध उत्पादों तथा नर्सरी में पौधों उगाने हेतु उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक कन्टेनर कैरी बैग के रूप में मान्य नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः-

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ''प्लास्टिक की थैलियों'' का वही अर्थ होगा जैसा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में उद्धृत किया जाता है:-

''प्लास्टिक की थैलियों'' का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारीः-

निम्नलिखित अधिकारियों को एतद द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्-

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
4. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में।
5. अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी
7. क्षेत्रीय पदाधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में।

अनुश्रवण:-

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध शिकायत को दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान:-

इस अधिसूचना के किसी निर्देश का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध 5 वर्षों तक के कारावास, अथवा एक लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दण्डनीय है।

प्रवर्त्तन:-

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR
Department of Environment Forest & Climate change

DRAFT NOTIFICATION

Notification no. Dated-

Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags are non-biodegradable, produce toxic gases on burning, cause choking of sewers and drains, reduce soil fertility and pose threat to life of cattle eating plastic waste along with their feed;

And Whereas, the Government of Bihar after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment and local ecology felt that plastic carry bags have detrimental affect on the environment and human health;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), delegated to this state vide MoEF, GoI notification no. S.O.152 (E), dated-10.02.1988 under section 23 of the said act, the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) in the jurisdiction of all the Gram Panchayats in the State of Bihar after 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:-

Directions:

1. No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) in the jurisdiction of all the Gram Panchyats in the State of Bihar.
2. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, *feriwala* or *sabjiwala* shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials in the jurisdiction of Gram Panchayats in the State of Bihar.

***Exceptions*:**

The use of plastic carry bags (>50 microns) only for collection/ storage of Bio-Medical Waste for its disposal as specified under the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 is exempted. State Government reserves the right to provide for any exception under this notification based on its assessment. The plastic containers used for packaging food materials, milk and milk products and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

Explanation:

For the purpose of this Notification "Plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India which is reproduced as below:-

"Carry bags" mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

***Authorized Officers*:**

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction namely:-

a. The Principal Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar;
b. The Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar;
c. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
d. The District Magistrate/superintendent of Police in respect of their jurisdiction;
e. The Sub-Divisional Magistrate/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;
f. Block Development Officer/Circle Officer;
g. The Regional Officers/ AEEs/Scientists of Bihar State Pollution control Board;
h. The General Managers, District Industries Centre in respect of their jurisdiction;

Monitoring:

The Chairman, Bihar State Pollution Control Board and The Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall file complaint in case of violation of these directions.

Penalty:

The contravention of any direction of this notification shall attract penal provisions of Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 and is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to Rs. one Lakh or with both.

Enforcement:

This notification shall come into force after 30 days from the date of publication in Official Gazette.

By order of the Governor

Principal Secretary
Environment & Forest Department
Government of Bihar